बअनवान रीना बनाम बुधराम व अन्य
प्रकरण संख्या 094/2025

10.12.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 व 04 ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– वादी द्वारा जनाबवाला के समक्ष धारा 88, 188, 53, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा इस प्रकार पेश किया है कि चक 30 जीजी मुरब्बा नम्बर 33 में 2.5290 हैक्टेयर रकबा बुधराम पुत्र मोतीराम के नाम खातेदारी है। बुधराम के तीन वारिस मीरा पत्नी, भगवान दास पुत्र, मनीराम पुत्र है। भगवान दास की मृत्यु हो गयी है जिसकी मैं वारिस हुई जिसमें मेरा हिस्सा घोषित किया जावे तथा दावा में यह कहा कि बुधराम ने अपना रकबा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को उपहार पत्र कर दिया है जिसे करने का अधिकार नहीं है। वादी इस बात को मान रहा है कि दान पत्र हो चुका है क्योंकि उपहार पत्र सब रजिस्ट्रार द्वारा तस्दीक किया गया। उपहार पत्र के आधार पर इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम हो गया है। चूंकि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा दान पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक जनाबवाला को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इसलिए वाद क्षेत्राधिकार का ना होने के कारण खारिज करने योग्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण वाद इसी स्टेज पर दाखिल दफतर किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RAJASTHAN HIGH COURT Citation: 2022(2) RRT 899 , RAJASTHAN HIGH COURT Citation: 2022(2) RRT 903 , BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2021(1) RRT 500, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2008(1) RRT 237, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2008(1) RRT 239, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2022(1) RRT 444, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Citation: 2022(1) RRT 447 पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब बहस मे कथन किए कि– वादीया को चक 30 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55 के मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 1, 2, 9 ता 11 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि घरेलू बंटवारे में अपने हिस्से में आयी थी जिसका कब्जा काश्त इस समय वादीया के पास चला आ रहा है जो कि विरासतन भूमि के बंटवारे में वादीया को उक्त भूमि हिस्से में आयी थी। वादी इस बात को मान रही है कि दान पत्र हो चुका है परंतु विरासतन भूमि के बंटवारे में वादीया के हिस्से में आयी भूमि को दान करने का अधिकार प्रतिवादी को नही था। जिस कारण शुरू से उपहार पत्र प्रभाव शून्य है। **विशेषः**– (1) सम्पति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्थावर सम्पति के अंतरण के लिए प्रतिवादी सं. 1 विरासतन से आयी भूमि वादीया के हिस्से तक का भी उपहार पत्र करने के लिए सक्षम नही था। (2) हिन्दू उत्तरदाधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हिन्दू नारी के कब्जे की कोई भी सम्पति अर्जित की है तो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। (3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188, 53, 92–ए के तहत पेश किये गये दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है न कि सिविल न्यायालय को। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण मे केवल वादपत्र पढा जाता है एवं वाद पत्र के कथनो की सही अभिधारणा कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है वादीया द्वारा उपहार पत्र दिनांक 10.03.2025 अपने हक व हकुक पर निष्प्रभावी होने एवं उपहार पत्र के जरिये दर्ज हुए इन्तकाल संख्या 636/11.03.2025, 644/19.03.2025 एवं 640/07.04.2025 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। उपहार पत्र एक पंजीकृत दस्तावेज है और किसी सक्षम न्यायायल से अकृत व शुन्य घोषित करवाये बिना राजस्व न्यायालय में खातेदारी अधिकार का दावा नही किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र संख्या 2025/094 अनवान रीना बनाम बुधराम व अन्य अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध हो। पत्रावली दायरा पंजिका के कम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.12.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर